न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-431RAAJodhpur2023-206RTA223 Ramanlal Vs Amritlal etc

रमणलाल पुत्र श्री सुरजाराम, जाति माली, निवासी- नयापुरा मालियों का बास, फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अमृतलाल पुत्र लालाराम, जाति माली, निवासी- मालियों का बन्दा, फलोदी, तहसील व जिला फलोदी।
2. गोरधन पुत्र सुरजाराम
3. भोमाराम उर्फ मोहनलाल पुत्र सुरजाराम
   दोनो जातियान् माली, निवासीगण- मालियों का बन्दा, फलोदी, तहसील व जिला फलोदी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 411/2018 अमृतलाल बनाम गोरधन इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मुकेश कच्छावाह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

निर्णय

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 411/2018 अनवान अमृतलाल बनाम गोरधन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 206 रकबा 42.03 बीघा, खसरा नं. 309 रकबा 2.15 बीघा, खसरा नं. 309/1 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 310 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नं. 310/1 रकबा 1 बिस्वा कुल रकबा 47.01 बीघा ग्राम फलोदी के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 20.12.2022 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के निर्देश जारी किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में पुनः सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होना बताकर अन्य वाद 109/2019 छगनी बनाम मिश्रीलाल समेकित कर नियम अनुसार तनकीवार व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करना बताकर सीधे ही दिनांक 09.10.2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 03.10.2023 को पत्रावली पुनः दर्ज हुई, उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई के अवसर देने की कोई आदेशिका है ही नहीं। दिनांक 03.10.2023 से सीधे दिनांक 09.10.2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। जिसमें माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना ही नहीं की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में नियमानुसार तनकियात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य सुनवाई कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः निर्णय व डिक्री पारित करने के निर्देश पारित किये थे। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना न करते हुए बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य लिये सीधे ही पूर्व में अनुसार एक खसरा नंबर 205 में वादी के वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर दिया एवं अन्य खसरा नं. 310 व 309 में वादी के वाद को विड्रोल करना बता दिया गया। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय को माननीय न्यायालय के निर्देशों की पूर्णतया पालना करनी थी जो बिल्कूल ही नहीं की गई। खसरा नं. 310 व 309 में वादी द्वारा वाद विड्रोल कर लिया था तो खसरा नं. 205 में वादी को वाद साबित करना था, जिसमें तनकियात कायम कर दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जानी थी जो विचारण न्यायालय द्वारा ली नहीं गई। किसी भी नियमित वाद में एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वाद को निर्णित किया जा सकता है, जिसमें जवाबदावा, तनकीयात व साक्ष्य होने के उपरांत पत्रावली को बहस में रखकर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अंतिम निर्णय किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में नियमित वाद की प्रक्रिया अपनाये बिना माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना न करते हुए रिमाण्ड प्रकरण में एक आदेशिका लिखकर पत्रावली दर्ज कर दूसरी आदेशिका में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में वादी एवं प्रतिवादी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्से ही नही तय किये। बिना हिस्से विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सकता है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा मामला विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जावे कि वह अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में जवाब प्रस्तुति के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण अपीलांट का जवाब बंद किया गया। पत्रावली वादी से जिरह में लंबी अवधि तक विचाराधीन रही, किंतु अपीलांट की ओर से जिरह नही किये जाने पर उनकी जिरह बंद की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति के भी पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिप्रेषित प्रकरण में भी अपीलांट बावजूद सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं उठाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पारित की है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2022 को पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 2023/14 अनवान गोरधनराम व अन्य बनाम अमृतलाल इत्यादि प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 20 जून 2023 को आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2022 को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किये कि वह हस्तगत वाद एवं वाद संख्या 102/2019 अनवान छगनी बनाम मिसरीलाल को समेकित कर तदनुसार नियमानुसार तनकियात कायमी और पक्षकारान् की साक्ष्य सुनवाई के बाद निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित निस्तारण करे।

विचारण न्यायालय को वाद पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर प्रकरण में दिनांक 03.10.2023 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.10.2023 रखकर अदालत हाजा द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स के उज है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति के समुचित अवसर प्रदान किये,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलांट को कोई अवसर प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स के उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा दिनांक 23.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर खसरा नं. 309 व 310 की सीमा तक वाद प्रत्याहरण किये जाने का निवेदन किया गया जिसका जिक्र विचारण न्यायालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व में ही अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अदालत हाजा के निर्देशों की पालना में के विपरीत तथा वाद विचारण की प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए विधि-विरुद्ध पारित किया जाना पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 411/2018 अनवान अमृतलाल बनाम गोरधन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 अक्टूबर 2023 निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय को हिदायत एवं निर्देश दिये जाते है कि वह अदालत हाजा द्वारा पूर्व में प्रदत निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर